



बिहार सरकार

समाहरणालय, खगड़िया

ई-मेल :- dm-khagaria.bih@nic.in,
generalsectionkhagaria@gmail.com

वेबसाईट :- https://khagria.nic.in

दूरभाष :- 06244-222135

(जिला शस्त्र शाखा)

आदेश

मृत शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी के आश्रित एवं अस्वस्थता के कारण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा समर्पित आवेदन के आलोक में उनके शस्त्र अनुज्ञप्ति आयुध अधिनियम 2016 की धारा 47 (1) के आलोक में तत्काल प्रभाव से रद्द (Cancel) किया जाता है तथा उक्त अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्र को उनके नाम के सामने उल्लेखित प्रतिष्ठान में जमा करने का आदेश दिया जाता है।

क्र०	आवेदक/अनुज्ञप्तिधारी का नाम एवं पता	अनुज्ञप्ति संख्या	शस्त्र संख्या	शस्त्र का प्रकार	शस्त्र जमा एवं रद्द करने का कारण	जमा करने वाले प्रतिष्ठान का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	शाद आलम, अ.एम.ए. पे०-प्र० मसरूर अहमद, साकिन-बोरना, थाना-गोगरी	12/1990 (गोगरी थाना)	AB08- 14433	राईफल	मृत्योपरान्त	कैपिटल गण हाउस समस्तीपुर (बिहार) में जमा है
2	अजय कुमार, पे०-राधेश्याम कुमार साकिन-जमालपुर, थाना	06/1968 (गोगरी थाना)	6752/ 4564	बंदुक	मृत्योपरान्त	गोगरी थाना के मालखाना में
03.	अंकित कुमार, पे०-कमलेश कुमार, ग्राम-समसपुर, थाना-महेशखूंट	07/1997 (गोगरी थाना)	AB-97- 2586	राईफल	मृत्योपरान्त	डिलक्स आर्म्स को०, खगड़िया में
04.	चन्द्रदेव सिंह, ग्राम-मधुआ, थाना-मुफसिल	40/DM/DODA/CRAPF डोडा (J&K) खगड़िया ओ०डी० नं०-377	23729/ 2000	बन्दूक	अस्वस्थता के कारण	खगड़िया नगर थाना के मालखाना में

संबंधित को आदेश दिया जाता है कि वे शस्त्र जमा करने के बाद अनुज्ञप्ति पुस्तिका (मूल में) अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। तदोपरान्त प्रभारी शस्त्र दण्डाधिकारी को आदेश दिया जाता है कि शस्त्र अनुज्ञप्ति रद्दीकरण के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे एवं शस्त्र लिपिक इसकी प्रवृष्टि अनुज्ञप्ति पंजी में करना सुनिश्चित करेंगे।

जिला दण्डाधिकारी,
खगड़िया।

ज्ञापांक IV-03/2020-277/जी०, दिनांक 21.03.20

- प्रतिलिपि : संबंधित आवेदक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
 प्रतिलिपि : थानाध्यक्ष, गोगरी/महेशखूंट/मुफसिल/नगर थाना खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
 प्रतिलिपि : कैपिटल गण हाउस, समस्तीपुर/डिलक्स आर्म्स को०, विश्वनाथगंज, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
 प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित।
 प्रतिलिपि : आई०टी०प्रबंधक, खगड़िया को वेबसाईट पर अपलोड एवं संबंधित पदाधिकारी को ई-मेल भेजने हेतु प्रेषित।
 प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
 प्रतिलिपि : सभी जिला दण्डाधिकारी बिहार राज्य को सूचनार्थ प्रेषित।